ठैला व्यवसायीयों को आजीविका उपार्जन हेतु मिलेगा उचित स्थान–महापौर

टाउन वेण्डिंग कमेटी की प्रथम बैठक सम्पन्न

वेण्डिंग जोन व नो वेण्डिंग जोन का निर्धारण

टाउन वेंण्डिंग कमेटी की प्रथम बैठक दिनांक 29 जुलाई 2016 शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय के बैठक सभागार में सिद्वार्थ सिहाग आयुक्त की अध्यक्षता एवं कमेटी सदस्यों की उपस्थिति (सूची संलग्न)में सम्पन्न हुई।

टाउन वेंण्डिंग कमेटी के सदस्यों के परिचय के साथ प्रारंभ हुई बैठक में महापौर चन्द्रसिंह कोठारी ने स्वागत उदबोधन दिया।

महापौर महोदय ने कहा कि स्मार्ट सिटी में शामिल उदयपुर में ठेला व्यवसायी अपना व्यवसाय स्वतंत्र रूप से कर सके, उनके लिए अनुकूल प्रबन्ध किए जाए व उन्हें आजीविका उपार्जन हेतु उचित स्थान मिले इस पर केन्द्रित होकर हम सभी सकारात्मक रूख अपनाते हुए स्ट्रीट वेण्डर को व्यवस्थित कर सके ऐसा प्रयास हम सभी को सामूहिक रूप से करना होगा।

महापौर महोदय ने कहा कि ठेले व्यवसायियों को व्यवस्थित करने का कार्य नगर निगम की स्वेच्छा से नही किया जाकर राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार किया जा रहा है जो भारत सरकार के स्ट्रीट वेण्डर्स (आजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के तहत जारी विभागीय अधिसूचना क्रमांक f-8[ga][15] Rule/DLB/15/1144 दिनांक 15.02.2016 की अनुपालना में निगम द्वारा उपरोक्त कार्यवाही प्रस्तावित है। नगर निगम और जिला प्रशासन ठेले व्यवसायियों के विरोधी नही है बल्कि एक दूसरे के सहायक है। हमें सभी वर्गो को साथ लेकर चलना है। हमें शहर में स्थापित ठेले व्यवसायियों के साथ साथ शहर में निवासरत 5 लाख लोगो की भी चिंता करनी है। साथ ही कहा कि किसी ठेला व्यवसायी को घर नही भेजेंगें सभी को आजीविका उपार्जन हेतु उचित स्थान दिया जाएगा।

आयुक्त महोदय ने वेण्डर समिति सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि शहर में ठेले व्यवसायी को व्यवस्थित करना व आमजन को सुविधा मुहैया कराना हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है। राज्य सरकार से जो आदेश प्राप्त हुआ है उसमें उल्लेखित आदेशों के अनुरूप ही प्रक्रिया से काम किया जाएगा। हम भी उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए बाध्य नही है। इस जटिल प्रक्रिया में अगर कोई गुंजाइस होगी तो हम उसका भी पालन करेंगें साथ ही जो भी कमीपेशी होगी उसके अनुसार सर्वसम्मति के साथ कार्य किया जाएगा।

कीर्ति राठौड उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित जनों को शहर में ठेला व्यवयायियों को व्यवस्थित कर उन्हें सम्मानजनक स्थिति में लाने का भरोया दिलाया। साथ ही प्रारंभिक दौर के प्रथम जोन कोर्ट चौराहा एम बी हास्पिटल मार्ग शिक्षा भवन स्वरूप सागर राडाजी चौराहा रानी रोड राजीव गांधी उघान देवाली छोर फतहसागर झरना यूआईटी चौराहा मीराबाई मूर्ति पार्क मोहता पार्क चेतक सर्कल हास्पिटल होते हुए भटट जी की बाडी स्थान की तथा वेंण्डिंग जोन व नोन वेंण्डिंग जोन की जानकारी दी।

उपायुक्त महोदया ने कहा कि कोर्ट चोराहे से चेतक सर्कल(महाराणा भूपाल चिकित्सालय के बाहर) वाला स्थान पूर्ण रूप से नो वेण्डिंग जोन घोषित है जहां पर न तो ठेले व्यवसायी खडे रह सकेंगें न ही कोई ठेला व्यवसायी पैदल घुम सकेगा। यह क्षेत्र पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा जहां किया भी वेण्डर को खडे रहने की अनुमति नही दी जाएगी।

निर्धारित जोन के अन्तर्गत चिन्हित स्थानों पर ही ठेले व्यवसायियों को व्यवस्थित खडा किया जा सकेगा। स्थान चिन्हित कर वहां डिर्माकेशन कर ठेले व्यवसायियों को कूपन दिया जाएगा। कूपन देकर उस पर व्यवसाय करने वाले ठेले व्यवसायी का नाम, स्थान का नाम,व्यवसाय में सहयोग करने वाले परिवार के सदस्यों के दो नाम अंकित किए जाएगें।

उपायुक्त महोदया ने बताया कि जहां जहां स्थान चिन्हित किए गए है वहां पर वेण्डर संख्या भी निर्धारित की गई है लेकिन क्षेत्र की क्षमता के अनुसार ठेले व्यवसायियों को खडा करने की व्यवस्था की जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी सूरत में ठेले व्यवसायियों को खडे रहने की अनुमति नही दी जाएगी। स्थान व लाइसेंस आवंटित होने के बाद ठेले व्यवसायी के लिए वह स्थान स्थायी हो जाएगा। उसे कोई भी हटा नही पाएगा। कानूनी नियम के आधार पर ही उन्हें व्यवसाय करना होगा।

स्ट्रीट वेण्डर गुमान सिंह राव ने वेण्डर्स सर्वे सही नही होने की बात कही जिस पर आयुक्त महोदय ने कहा कि वेण्डर्स सर्वे सही ढंग से किया गया है। सर्वप्रथम स्वीकृत कम्पनी के माध्यम से सर्वे कराया गया तत्पश्चात एनयूएलएम की टीम ने पुनः उस सर्वे का भौतिक सत्यापन कर 3058 ठेला व्यवसायों की सूचि बनाकर उसे स्वीकृत किया और आपत्ति स्वीकार की प्रक्रिया के पश्चात् उसे अन्तिम रूप देकर प्रकाशित किया।

स्ट्रीट वेण्डर निजाम शेख में बैठक में जब वैण्डर्स सूचि में से आधे वेण्डर्स के नाम ही होने एवं शेष वेण्डर्स के साथ अन्याय करने की बात उठाई तो महापौर महोदय ने कहा कि शहर की कुल जनसंख्या का ठाई प्रतिशत संख्या में ठैले व्यवसायों को खडे करने की बात कही है और कहा कि नये वेण्डर्स का स्थान चयन करना है अथवा वेण्डर्स सूचि में नाम जुडवाना है तो वह नगर निगम में आवेदन करे।

स्ट्रीट वेण्डर भेरूलाल बेरवा ने कहा कि ठैले व्यवसायी का व्यापार प्रभावित नही हो उसकी व्यवस्था की जाये जिस पर उपायुक्त ने कहा कि हम यहा सभी ठैले व्यवसायी को व्यवस्थित करने के लिए बैठे है निश्चित रूप से ठैले व्यवसायी के साथ अन्याय नहीं किया जायेगा।

स्ट्रीट वेण्डर रानु सालवी ने कहा कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाईसेन्स दिया जायेगा जिसका कविता मोदी ने समर्थन किया।

डे एन.यू.एल.एम. समिति अध्यक्ष राकेश पोरवाल ने वेण्डर्स को व्यवस्थित करने एवं उन्हे लाईसेन्स देने की प्रक्रिया को स्वागत योग्य बताया साथ में कहा कि ठैले व्यवसायी भी अपने परिवार के ही लोग है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। साथ में सुझाव दिया कि महाराणा भोपाल चिकित्सालय के पास खडे ठैले व्यवसायी को अलग–अलग आवश्यकतानुसार नियत स्थान पर खडा किया जाये।

स्वास्थ्य निरीक्षक नरेन्द्र श्रीमाली ने कहा कि सुखाडिया सर्कल पर एक ही व्यक्ति ने दस ठैले खडे कर किराये पर दे रखे है इसके लिए आवश्यक है एसे ठैले व्यवसायी को चिन्हीत कर सूची बद्ध किया जाये जिसका टी.एस.आई. हेमन्त ने भी समर्थन किया।

पार्षद गजेश शर्मा ने किराये पर लगे ठैले व्यवसायी की सूचि बनाने की बात कही, धमेन्द्र कुमावत ने कहा कि वैण्डिंग जोन एरिया में किसे कहा खडा करना है उन ठैला व्यवसायी की सूचि हम बनाकर देंगें। सदस्य किरण कुमार नागौरी ने ठैला व्यवसायीयों से सहयोग देने की बात कही, सदस्य जयेश चम्पावत ने कहा कि पुराने वेण्डर्स में जिन वेण्डर्स के नाम शेष रह गये है वह भी अपने नाम सूचि में जुडवा सकते है।

टाउण्ड वेण्डिंग की कमेटी की बैठक में उपस्थित सदस्यों में भी स्मार्ट सिटी में सहयोग करने की बात कहते हुए निर्धारित वैण्डिंग जोन व नोन वैण्डिंग जोन पर मेजे थपथपाकर अपनी सहमति व्यक्त की साथ ही टाउन वैण्डिंग कमेटी की प्रथम बैठक में बने प्रथम जोन के क्षेत्र व समायोजित स्थल का अनुमोदन कर सर्वसहमति से पारित कर दिया गया। बैठक में डे एन.यू.एल.एम. की मेनेजर लता सिंह चौहान, लता जोशी, रजनी ठाकुर, सी.ओ. मनीष मेघवाल सहित अन्य उपस्थित थे।